पत्र संख्या : 7ब / 4702 यो० 02–03 / 2019–ज.सं.– 58

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 16/07/19

विषय :– वित्तीय वर्ष **2019–20** में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण हेतु **रू० 310.954** लाख **(रू० तीन करोड़ दस लाख पन्चानबे हजार चार सौ मात्र)** राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :– प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या–83 / 27.01.17, 06 / 24.04.17, 73 / 18.03.16, 13 / 05.05.16, 36 / 26.11.15 एवं 51 / 04.02.16

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2019–20** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड़ के अधीन दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है:–

क्र०	माँग संख्या / मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1	50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101–सतही जल / 19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,	05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य, 50S470200101190545	**310.954**
आवंटित राशि – ₹ तीन करोड़ दस लाख पन्चानबे हजार चार सौ मात्र।				

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट–1 में अंकित कार्य प्रमंडलो के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

3. आवंटित राशि वर्ष **2019–20** के **बजट उपबंध रू० 17900.00 लाख (रू० एक सौ उनासी करोड़)** मात्र के अंतर्गत है।

4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003, 1363 दि० 09.05.2016 तथा 2747(वि०), दिनांक–19.09.16 के आलोक में होगा।

5. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत एवं परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।

6. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

8. सरकारी नियम / अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

9. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

15/07/19
(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020 के पूर्व तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no संलग्न परिशिष्ट के स्तंभ 13 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

(अरूण कुमार सिंह) 15.7.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 58 रॉची, दिनांक :– 16/07/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰– **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा/हजारीबाग/बोकारो/रामगढ़/कोडरमा/हुसैनाबाद/पलामू/चतरा/गोड्डा/गिरिडीह** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(अरूण कुमार सिंह) 15.7.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 58 रॉंची, दिनांक :– 16/7/19

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

15/07/19
(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(अरूण कुमार सिंह) 15.7.19
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक 58 दिनांक 16/7/19 का अनुलग्नक परिशिष्ट –1

मॉग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष –4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष –101–सतही जल

उप शीर्ष –19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,

विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य

विपत्र कोड–50S470200101190545

बजट उपबंध (वर्ष 2019–20) ₹ 17900.00 लाख (रू॰ एक सौ उनासी करोड़) मात्र।

(राशि लाख रूपये मे)

क्र॰	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2019 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (8+11)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग (HZBMIR001)	हजारीबाग	ईचाक	पोखरिया नाला पर श्रृं0 चेकडैम निर्माण	83/27.01.17 Online AA-2289/09.02.17	85.15500	25.01000	0.000	48.000	48.000	73.010	28264	
					योग	**85.15500**	**25.01000**	**0.000**	**48.000**	**48.000**	**73.010**		
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो (BKRMIR001)	बोकारो	कसमार	करकट्टा नाला पर चेकडैम सं0–1 निर्माण।	83/27.01.17 Online AA-2289/09.02.17	53.60300	32.87540	0.000	12.800	12.800	45.675	28265	
					योग	**53.60300**	**32.87540**	**0.000**	**12.800**	**12.800**	**45.675**		
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ (RGHMIR012	रामगढ़	रामगढ़	बिन्झारगढ़ा नाला पर श्रृं0 चेकडैम निर्माण	83/27.01.17 Online AA-2289/09.02.17	103.62200	89.35483	0.000	2.320	2.320	91.675	28266	
2		रामगढ़	गोला	बड़का नदी पर चेकडैम/वीयर निर्माण	06/24.04.17 Online AA-451/02.05.17	95.36100	47.20214	0.000	30.000	30.000	77.202	28271	
					योग	**198.98300**	**136.55697**	**0.000**	**32.320**	**32.320**	**168.877**		
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा (KDMMIRA01)	कोडरमा	मरकच्चो	केशो नदी पर उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	73/18.03.16 Online AA-2802/25.03.16	37.21000	12.31100	0.000	13.624	13.624	25.935	28274	
					योग	**37.21000**	**12.31100**	**0.000**	**13.624**	**13.624**	**25.935**		
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद (PLMMIR044)	पलामू	हुसैनाबाद	दंगवार उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	13/05.05.16 Online AA-505/09.05.16	46.6800	34.1700	0.000	5.000	5.000	39.170	28275	
2		पलामू	मोहम्मद गंज	लठेया नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम का निर्माण	83/27.01.17 Online AA-2289/09.02.17	255.7250	182.3800	0.000	25.000	25.000	207.380	28267	
3		पलामू	पाण्डू	अमरावती नाला पर एकल चेकडैम निर्माण।	36/26.11.15 Online AA-1902/03.12.15	41.8500	27.4690	0.000	7.500	7.500	34.969	28276	
4		पलामू	पाण्डू	सुषमा नाला पर एकल चेकडैम निर्माण।		39.9000	26.5400	0.000	6.000	6.000	32.540		
					योग	**384.15500**	**270.55900**	**0.000**	**43.500**	**43.500**	**314.059**		

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

15/07/19
(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

19-7-19
(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

क्र०	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2019 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (8+11)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, चतरा (CTRMIR001)	चतरा	मयुरहंड	बोना नदी पर एकल चेकडैम निर्माण	83/27.01.17 Online AA-2289/09.02.17	73.7120	63.6900	0.000	9.000	9.000	72.690	28268	
2		चतरा	हंटरगंज	मोथा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण	36/26.11.15 Online AA-1092/13.12.15	404.2350	360.6800	0.000	5.710	5.710	366.390	28277	
					योग	477.94700	424.37000	0.000	14.710	14.710	439.080		
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा (GDDMIR014)	गोड्डा	ठाकुरगंगटी	जंघिरा नदी में श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण	83/27.01.17 Online AA-2289/09.02.17	226.7690	152.9300	0.000	42.000	42.000	194.930	28269	
2		गोड्डा	मेहरमा	बदलाचक एंव डोमाचक नाला में श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		306.3570	269.6200	0.000	10.000	10.000	279.620		
3		गोड्डा	बोआरीजोर	सरैया नदी में श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		157.1820	69.3400	0.000	80.000	80.000	149.340		
					योग	690.30800	491.89000	0.000	132.000	132.000	623.890		
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह (GRDMIR001)	गिरिडीह	पीरटांड	ग्राम–कसियाडीह में कसियाडीह नाला में चैकडेम का निर्माण	51/04.02.16 Online AA-2276/04.02.16	45.0010	30.0260	0.000	14.000	14.000	44.026	28278	
					योग	45.00100	30.02600	0.000	14.000	14.000	44.026		
					योग	1972.36200	1423.59837	0.000	310.954	310.954	1734.552		

आवंटित राशि – ₹ तीन करोड़ दस लाख पन्चानबे हजार चार सौ मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

58
16/7/19

15/07/19
(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(अरूण कुमार सिंह) 15.7.19
अपर मुख्य सचिव